

प्रेषक,  
आर० पी० सिंह,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 22 फरवरी, 2021  
विषय- जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना को कौयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1865/11-सी, दिनांक 01.02.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है विषयगत प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1. भारत सरकार द्वारा की गई आपत्ति के बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में आपकी स्पष्ट आख्या/संस्तुति प्राप्त नहीं है।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के आधार पर नियमानुसार अन्य एजेंसियों को दिये जाने हेतु विधिमान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है, जिसके आलोक में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर व प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट की स्पष्ट संस्तुति/आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

भवदीय  
आर० पी० सिंह  
अनु सचिव।

पत्रांक 3652/सी/33 डी 24-2, 2021  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग  
कोटा काशी के प्रेषित पत्रांक  
के सम्बन्ध में कौयला खनन परियोजना  
इपर्युक्त का निम्नलिखित करें।

संख्या एवं दिनांक तादैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट।
3. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लि० ककरी परियोजना, ककरी सोनभद्र।
4. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)  
अनु सचिव।

मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर कोटा काशी पर्युक्त

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 2128 /11-सी-FP/UP/Min/29061/2017, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 23, 2021

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लि०, ककरी परियोजना, ककरी सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ